(नियम 26)
अदालत संभागीय आयुक्त, मुकाम,जयपुर।

महेन्द्र बनाम शारदा

किस्म मुकदमाः— अपील धारा 76 राज.राजस्व अधिनियम नम्बरः 2023/102

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.03.23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित, उनकी बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलाधीन आदेश से नामान्तरकरण संख्या 459 को खारिज किया गया है जिससे वादग्रस्त आराजी वापस मृत व्यक्ति के नाम होंगी जो न्यायिक प्रक्रिया के अनुकूल व विधि सम्मत नही है तथा दौराने बहस अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रकरण तहसीलदार धारा 135(2) के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु रिमाण्ड किये जाने का कथन भी किया है। ऐसी स्थिति में चूँकि अपीलाधीन आदेश द्वारा नामान्तरकरण संख्या 459 निरस्त किया जा चुका है एवं नामान्तरकरण के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही तहसीलदार के स्तर से ही होनी है ऐसे में न्यायालय हाजा के स्तर से रेस्पोडेन्ट को नोटिस दिये जाने की आवश्यकता प्रतीत नही होता है और हस्तगत अपील का निस्तारण एडमिशन की स्टेज पर किया जाना न्यायोचित होगा। अपीलार्थीगण की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार सूरजगढ जिला झुन्झुनू को निर्देशित किया जाता है जिला कलक्टर झुन्झुनू के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.09.2022 के अनुसरण में उक्त वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(2) के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज किया जावें एवं प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। (अन्तरसिह नेहरा) संभागीय आयुक्त, जयपुर।	